सीमाशुल्क

टिप्पण: (क) "सीमाशुल्क" से सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अधीन उद्गृहीत सीमाशुल्क अभिप्रेत है।

(ख) "सीवीडी" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहीत अतिरिक्त सीमाशुल्क अभिप्रेत है।

(ग) "एसएडी" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उद्ग्रहीत विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क अभिप्रेत है। जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, परिवर्तन तुरंत प्रभावी होंगे।

(घ) "निर्यात शुल्क" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट मालों पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क अभिप्रेत है।

(ङ) वर्गाकार कोष्ठकों में खंड संख्या वित्त विधेयक के सुसंगत खंड को उपदर्शित करती है।

वित्त विधेयक, 2012 के माध्यम से किए गए संशोधन जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, उसके अधिनियमन की तारीख से प्रभावी होंगे।

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन

1) वायु भाड़ा स्टेशनों को, "सीमाशुल्क विमानपत्तन" की परिभाषा में शामिल करने के लिए धारा 2 के खंड (1) का संशोधन किया जा रहा है। *[खंड 114]*

2) "वायु भाड़ा स्टेशनों" को शामिल करने के लिए धारा 7 के खंड (कक) का संशोधन किया जा रहा है। *[खंड 115]*

यह संशोधन अन्तर्देशीय आधान डिपो की दशा में आयात स्थोरा की उतराई और निर्यात स्थोरा की चढ़ाई के लिए केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड को सशक्त बनाएंगे।

3) सीमाशुल्क अधिनियम के उपबंध उद्ग्रहीत नहीं किए गए सीमाशुल्क, आयातक या निर्यातक या आयातक या निर्यातक के अभिकर्ता या कर्मचारी या दुरभिसंधि या जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण कम उद्ग्रहीत शुल्क की वसूली करने में समर्थ बनाएंगे। लिखतों के उपयोजन से संबंधित कतिपय मामले प्रकाश में आए हैं जहां लिखत को उस व्यक्ति द्वारा जिसे लिखत जारी किया गया था या उसके अभिकर्ता या कर्मचारी द्वारा दुरभिसंधि या जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के माध्यम से अभिप्राप्त किया गया था न कि आयातक द्वारा जिसने उसका उपयोजन किया पर कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस व्यक्ति से जिसे लिखत जारी किया गया या शुल्कों की वसूली का उपबंध करने के लिए एक नई धारा 28कककक अंतःस्थापित की जा रही है। *[खंड 116]*

4) प्रस्तावित धारा 28कककक को लागू संपत्ति की अनंतिम कुर्की से संबंधित उपबंध करने के लिए धारा 28 खक का संशोधन किया जा रहा है। *[खंड 117]*

5) धारा 47 का उसमें एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आयातकों के वर्ग या वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सके जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से शुल्क का संदाय करेंगे। *[खंड 118]*

6) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28कक और धारा 28कख का वित्त अधिनियम, 2011 के उपबंधों के माध्यम से आमेलन कर दिया गया था। धारा 28कख के प्रति निर्देश को धारा 28कक से प्रतिस्थापित करने के लिए धारा 75क का संशोधन किया जा रहा है। संशोधन को 08.04.2011 से भूतलक्षी रूप से भी प्रभावी किया जा रहा है। *[खंड 119]*

7) इस बात का उपबंध करने के लिए कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिनियम के अधीन सभी अपराध (धारा 135 के अधीन तीन वर्ष या अधिक वर्ष के कारावास की अवधि से दंडनीय अपराध के सिवाय) असंज्ञेय और जमानतीय होंगे, धारा 104 का संशोधन किया जा रहा है। यह और उपबंध करता है कि धारा 135 के अधीन तीन या अधिक वर्षों की कारावास की अवधि से दंडनीय अपराध संज्ञेय होंगे। *[खंड 120]*

8) इस बात का उपबंध करने के लिए कि धारा 135 के अधीन तीन वर्ष या अधिक वर्ष की कारवास की अवधि से दंडनीय अपराधों की दशा में जमानत न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा लोक अभियोजक को अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान किए बिना नहीं दी जाएगी, धारा 104क अंतःस्थापित की जा रही है। यह और उपबंध करती है कि अल्पवय, शिथिलांग और महिलाओं की दशा में मजिस्ट्रेट जमानत दे सकेगा। यह केन्द्रीय सरकार द्वारा सिवाय विशेष या सामान्य आदेश के इस निमित्त प्राधिकृत करने के, सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन अपराधों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारियों की अधिकारिता का भी अपवर्जन करती है। *[खंड 121]*

9) धारा 122 का मामलों का जिनमें मालों का समपहरण और शास्ति का अधिरोपण अंतर्वलित है न्यायनिर्णयन करने की धनीय सीमा उप/सहायक आयुक्तों के लिए दो लाख से बढ़ाकर पांच लाख और सहायक/उप आयुक्त की पंक्ति से नीचे किसी राजपत्रित अधिकारी की दशा में 10,000 रु. से बढ़ाकर 50,000 रु. करने के लिए संशोधन किया जा रहा है। *[खंड 122]*

10) धारा 138 अपराधों के संक्षिप्त विचारण से संबंधित है। इस धारा का धारा 135 के अधीन तीन वर्ष या अधिक की कारावास की अवधि से दंडनीय अपराधों का अपवर्जन करने के लिए संशोधन किया जा रहा है चूंकि यह प्रस्ताव किया जा रहा है कि ऐसे अपराध संज्ञेय होंगे। *[खंड 123]*

11) 'कोरियर सेवाओं' को आयुक्त के किसी आदेश/विनिश्चय/समन/नोटिस की तामील करने के प्रयोजन के लिए धारा 153 की परिधि में लाने के लिए संशोधन किया जा रहा है। *[खंड 124]*

12) "विदेशगामी पोतों" को अतिरिक्त शुल्क से छूट देने के लिए 1 मार्च, 2011 से 16 मार्च, 2012 की अवधि के लिए भूतलक्षी रूप से छूट दी जा रही है। *[खंड 125]*

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में संशोधनः

(1) धारा 8ग चीन जनवादी गणराज्य से आयात पर सुरक्षा शुल्क उदग्रहीत करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करती है। उसे यह उपबंध करने के लिए संशोधित किया जा रहा है कि ऐसा शुल्क जारी रह सकेगा यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसी वस्तुएं या माल भारत में आयात होते रहें जिससे घरेलू उद्योग के बाजार में व्यवधान कारित हो या उसकी आशंका हो भले ही घरेलू उद्योग ने ऐसे व्यवधान से निपटने के लिए उपाय कर लिए हों। यह संशोधन वर्ष 2001 में विश्व व्यापार संगठन के साथ हस्ताक्षरित चीनी अधिमिलन प्रोटोकाल के अधीन संक्रमणकालीन उत्पाद विनिर्दिष्ट सुरक्षा तंत्र वाली धारा के उपबंधों के अनुसार सुमेलित करना। *[खंड 126]*

(2) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची को निम्नलिखित के लिए संशोधित किया जा रहा हैः-

(i) 60 मिलीमीटर से अनधिक या 60 मिलीमीटर से अधिक फिल्टर और गैर-फिल्टर सिगरटों, दोनों के निम्नतम स्लैब की लंबाई को क्रमशः 65 मिली मीटर से अधिक या उससे अनधिक की लम्बाई तक पुनरीक्षित करना।

(ii) लौह अयस्क और लौह तत्व पर आधारित सांद्रणों से संबंधित टैरिफ मदों 2601 11 10 से 2601 11 90 के वर्णन को पुनरीक्षित करना।

(iii) टिप्पण-12 में किसी बात के होते हुए भी यह उपबंध करने के लिए अध्याय 48 में टिप्पण 13 अन्तःस्थापित करना, यदि शीर्ष 4811, 4816 या 4920 के कागज या कागज उत्पादों पर कोई अक्षर, नाम, शब्द, मोटिफ या फारमेट मुद्रित किए जाते हैं तो वे अध्याय 48 के अधीन तब तक वर्गीकृत रहेंगे जब तक ऐसे उत्पाद और मुद्रण के लिए उपयोग किए जाने के लिए आशयित हैं। इससे वर्गीकरण विषयक विवादों पर रोक लगेगी।

(iv) ताम्र स्क्रैप, पीतल स्क्रैप, निकिल स्क्रैप, एल्यूमिनियम स्क्रैप, सीसा स्क्रैप और जस्ता स्क्रैप संबंधी प्रविष्टियों को पुनरीक्षित आई.एस.आर.आई. वर्गीकरण के अनुसार सुमेलित करना।

(v) साइकिलों पर आधारिक सीमाशुल्क की दर को 10% से बढ़ाकर 30% करना और साइकिलों के पुर्जो पर 10% से बढ़ाकर 20% करना। *[खंड 127]*

(3) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में क्रोमियम अयस्क पर निर्यात शुल्क की दर को प्रति टन 3000 रु. से बढ़ाकर मूल्यानुसार 30% करने के लिए संशोधन किया जा रहा है। *[खंड 128]*

पैरा 2(v) और पैरा (3) के परिवर्तन अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा के कारण तुरन्त प्रभावी होंगे।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 1944 में संशोधनः

(1) धारा 4 मूल्यानुसार आधार पर शुल्क से प्रभार्य उत्पाद शुल्क्य माल के मूल्य के अवधारण से संबंधित है। इस धारा का एकाधिकार और प्रतिबंध तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में, जिसे बाद में निरसित कर दिया गया है, अन्तर्विष्ट "अंतर-संबद्ध उपक्रमों" की परिभाषा को समाविष्ट करने के लिए संशोधन किया जा रहा है। *[खंड 129]*

(2) धारा 9 यह उपबंध करती है कि अवपंचन के ऐसे मामले, जिन में उदग्रहणीय शुल्क एक लाख रुपए से अधिक है, ऐसे कारावास की अवधि, जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होंगे। इस रकम के स्थान पर तीस लाख रुपए रखने के लिए इस धारा का संशोधन किया जा रहा है।

(3) धारा 9 में यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जा रहा है कि इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध, धारा 9 के अधीन तीन वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के सिवाय, असंज्ञेय होंगे। *[खंड 131]*

(4) धारा 11क में, जहां, सूचना की तामील पर, यथास्थिति, न्यायालय या अधिकरण के आदेश द्वारा रोक लगा दी जाती है वहां कारण बताओ सूचना के निकाले जाने के लिए एक वर्ष या पांच वर्ष की अवधि की संगणना करने में रोक की अवधि को अपवर्जित करने के लिए संशोधन किया जा रहा है। *[खंड 132]*

(5) धारा 11कग घटी हुई शास्ति के लिए उपबंध करता है, यदि आदेश की संसूचना के 30 दिन के भीतर ब्याज सहित शुल्क का संदाय किया जाता है। इस धारा में घटी हुई शास्ति का फायदा उपलब्ध करवाने के लिए संशोधन किया जा रहा है केवल यदि घटी हुई शास्ति भी तीस दिन की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदत्त कर दी जाती है। *[खंड 133]*

(6) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित धारा 12च का सीमाशुल्क अधिनियम में उपबंधों को सम्मिलित करने के लिए संशोधन किया जा रहा है। *[खंड 134]*

(7) गिरफ्तार करने की शक्ति से संबंधित धारा 13 को सीमाशुल्क में उपबंधों को सम्मिलित करने के लिए प्रतिस्थापित किया जा रहा है और यह उपबंध करने के लिए भी है कि धारा 9 के अधीन तीन वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध संज्ञेय होंगे। *[खंड 135]*

(8) धारा 13क यह उपबंध करने के लिए अन्तःस्थापित की जा रही है कि धारा 9 के अधीन तीन वर्ष या उससे अधिक के कारावास की अवधि से दंडनीय अपराधों के मामले में जमानत, लोक अभियोजक को अपना पक्ष रखने के लिए अवसर दिए बिना किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा मंजूर नहीं की जाएगी। धारा यह भी उपबंध करती है कि अल्पवय शिथिलांग और स्त्री के मामले में, मजिस्ट्रेट जमानत मंजूर कर सकेगा। धारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन अपराधों में अन्वेषण आरंभ करने की पुलिस अधिकारियों की अधिकारिता को भी जब तक अपवर्जित करता है जब तक उन्हें किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत नहीं किया जाता है। *[खंड 135]*

(9) धारा 18 को यह उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापित किया जा रहा है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय, तलाशियां दंड प्रक्रिया संहिता में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी। *[खंड 136]*

(10)धारा 19 का, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का प्रबंध करने से संबंधित हैं, पारिणामिक परिवर्तन के रूप में लोप किया जा रहा है। [खंड 137]

11) धारा 19 के लोप को देखते हुए, पारिणामिक परिवर्तन करने के लिए धारा 20 का संशोधन किया जा रहा है। *[खंड 138]*

12) अधिसूचना संख्या 1/2010-सीई तारीख 6 फरवरी, 2010 ऐसे मालों के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट का उपबंध करती है, जिनकी निकासी जम्मू-कश्मीर राज्य में स्थित नई इकाइयों या ऐसी इकाइयों से की गई है, जिनका उक्त राज्य में सारवान विस्तारण हुआ है। इसका भूतलक्षी प्रभाव से उक्त अधिनियम के जारी होने की तारीख से संशोधन किया जा रहा है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अधिसूचना के निबंधनानुसार सारवान विस्तारण करने वाली इकाइयों के लिए दस वर्ष की छूट की अवधि की संगणना विस्तारित क्षमता से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से की जाएगी। यह नीति संबंधी आशय को स्पष्ट करेगा। *[खंड 139]*

13) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची का, जो कतिपय प्रक्रियाओं को "विनिर्माण" के तत्समान समझे जाने के संबंध में है, संशोधन सिगरेटों को सम्मिलित करने के लिए किया जा रहा है। तदनुसार, सिगरेटों की किसी यूनिट आधान में पैकिंग या पुनः पैकिंग, आधान पर लेबल या पुनः लेबल लगाने, जिसके अंतर्गत उस पर खुदरा विक्रय मूल्य की घोषणा या उसमें परिवर्तन भी है, या सिगरेटों को विपणीय बनाने के लिए किसी उपचार को अपनाने की प्रक्रियाएं विनिर्माण के तत्समान होंगी। *[खंड 140]*

ऊपर पैरा 13) के परिवर्तन अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन एक घोषणा के कारण तुरंत प्रवृत्त होंगे।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 में संशोधनः

1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि,—

क. सभी उत्पाद शुल्क्य मालों को लागू कानूनी/टैरिफ दरों को, जो छूट प्राप्त मालों से भिन्न सभी गैर-पेट्रोलियम मालों, मैरिट दर या उच्चतर शुल्क दरों वाले मालों के लिए 12% है, पुनरीक्षित किया जा सके। पेट्रोलियम मालों के लिए मूल्यानुसार दर या मूल्यानुसार संघटक (जहां दरें मिश्रित हैं) का पुनरीक्षण करके 14% किया जा सके।

ख. कतिपय मालों पर उत्पाद शुल्क की दर को बढ़ाकर 5% से 6% और कतिपय प्रवर्ग के आटोमोबाइल पर 22% से 24% तथा "22% + 1500 रुपए प्रति यान" से बढ़ाकर 27% किया जा सके। आटोमोबाइल चेसिस को लागू सम्मिश्र दर को मूल्यानुसार दर में संपरिवर्तित किया जा रहा है और उसे 15% या 25% पर नियत किया जा रहा है।

ग. 65 मिमी से अधिक लंबाई वाली सिगरेटों (फिल्टर वाली और बिना फिल्टर वाली, दोनों) पर उत्पाद शुल्क की दर को, शुल्क की विद्यमान विनिर्दिष्ट दरों में 10% की मूल्यानुसार दर को जोड़कर बढ़ाया जा सके।

घ. सिगारों, चिरूटों और सिगरिलौस पर उत्पाद शुल्क की दर को "12% या 1370 रुपए प्रति हजार, जो भी अधिक हो", के रूप में बढ़ाया जा सके।

ङ. निम्नलिखित परिवर्तनों को किया जा सकेः

(i) पालिश किए गए संगमरमर के सही वर्गीकरण के बारे में शंकाओं का निवारण करने के लिए अध्याय 25 के टिप्पण 6 में "या पालिश करना" शब्दों का लोप;

(ii) लौह अयस्क और एफई अंतर्वस्तु के आधार पर सांद्रणों को सम्मिलित करने वाले टैरिफ मदों 2611 10 से 2611 90 के वर्णन का पुनरीक्षण;

(iii) यह उपबंध करने के लिए अध्याय 48 में एक टिप्पण का अंतःस्थापन, कि टिप्पण 12 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि शीर्ष 4811, 4816 या 4920 के कागज और कागज उत्पादों का मुद्रण किसी अक्षर, नाम, लोगो, मोटिफ या फार्मेट के साथ किया जाता है तो जब तक ऐसे उत्पाद आगे और मुद्रण के लिए आशयित हैं, वर्गीकरण संबंधी विवादों से बचने के लिए उन्हें अध्याय 48 के अधीन वर्गीकृत किया जाता रहेगा;

(iv) अध्याय 71 में एक टिप्पण का अंतःस्थापन, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि शीर्ष 7113 और 7114 के प्रयोजनों के लिए, बहुमूल्य आभूषणों की वस्तुओं या स्वर्णकार अथवा रजतकार की वस्तुओं, बहुमूल्य धातुओं या बहुमूल्य धातु से मढी धातुओं के बर्तनों पर व्यापार चिन्ह या ब्रांड नाम लिखने या उसके समुद्भरण की प्रक्रिया "विनिर्माण" के तत्समान होगी;

(v) अध्याय 72 में एक टिप्पण का अंतःस्थापन, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि शीर्ष 7208 के मालों के संबंध में आयलिंग और पिकलिंग की प्रक्रिया "विनिर्माण" के तत्समान होगी;

(vi) अध्याय 76 में एक टिप्पण का अंतःस्थापन, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि एल्युमिनियम फायल की कटिंग, स्लिटिंग और मुद्रण की प्रक्रिया "विनिर्माण" के तत्समान होगी;

(vii) अध्याय 85 में एक टिप्पण का अंतःस्थापन, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि लिथियम आयन बैटरियों की मैचिंग, बैचिंग, और चार्जिंग या बैटरी पैक बनाने की प्रक्रिया "विनिर्माण" के तत्समान होगी;

(viii) ताम्र स्क्रेप, पीतल स्क्रेप, निकेल स्क्रेप, एल्युमिनियम स्क्रेप, सीसा स्क्रेप और जस्ता स्क्रेप से संबंधित प्रविष्टियों को पुनरीक्षित आईएसआरई वर्गीकरण से सुमेलित करना।

च. अध्याय 54 में एक टिप्पण अंतःस्थापित किया जा सके, जो यह उपबंध करेगा कि टिप्पण 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्लास्टिक और प्लास्टिक अपशिष्ट, जिसके अंतर्गत अपशिष्ट पोलीइथायलीन टेरेथेलेट बोतलें भी हैं, से विनिर्मित मानव निर्मित फाइबरों जैसे कि पोलीस्टर स्टेपल फाइबर और पोलीस्टर फिलामेंट यार्न को, यथास्थिति, अध्याय 54 या अध्याय 55 के अधीन टेक्सटाइल सामग्री के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इस संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव से 29.06.2010 से किया जा रहा है। पहले से की गई निकासी के संबंध में शुल्क वित्त विधेयक, 2012 के अधिनियमन की तारीख से एक मास के भीतर इन मालों के विनिर्माताओं से वसूलनीय होगा, जिसमें असफल रहने पर 24% की दर से ब्याज संदेय होगा। इसके साथ ही, विनिर्माताओं को अंतःनिवेशों, अंतः निवेशी सेवाओं और पूंजी मालों पर संदत्त शुल्क के प्रत्यय को गणना में लेने की अनुज्ञा दी जा रही है। *[खंड 141 और खंड 142]*

शुल्क की दरों में वृद्धि अंतर्वलित करने वाले परिवर्तन, अनंतिम कर अधिनियम, 1931 के अधीन एक घोषणा के कारण तुरंत प्रवृत्त होंगे।

प्रकीर्ण

1) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के अधीन देशी पेट्रोलियम कच्चे तेल पर उद्ग्रहणीय उपकर की दर को 2500 रुपए प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 4500 रुपए प्रति मीट्रिक टन किया जा रहा है। *[खंड 151]*

2) राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क से संबंधित वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन के पारिणामिक परिवर्तन के रूप में सिगरेटों के कतिपय शुल्क स्लैबों में उनकी लंबाई में पुनरीक्षण करने के लिए संशोधित किया जा रहा है। *[खंड 152]*

3) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (सामान्यतया स्वास्थ्य उपकर के नाम से ज्ञात) से संबंधित वित्त अधिनियम, 2005 की सातवीं अनुसूची को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन के पारिणामिक परिवर्तन के रूप में सिगरेटों के कतिपय शुल्क स्लैबों में उनकी लंबाई में पुनरीक्षण करने के लिए संशोधित किया जा रहा है। *[खंड 154]*

4) वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 73 ने केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर नियमों के कतिपय उपबंधों में भूतलक्षी संशोधन किए थे जिससे आनुपातिक आधार पर प्रत्यय का विभाजन अनुज्ञात किया जा सके जहां सामान्य अंतःनिवेश सेवाएं छूट प्राप्त और शुल्क लगाए गए माल के विनिर्माण के लिए प्रयोग की गईं थी। इस धारा को भूतलक्षी प्रभाव से "अंतःनिवेश" शब्द के स्थान पर "अंतःनिवेश या अंतःनिवेश सेवा" शब्द रखने के लिए संशोधित किया जा रहा है ताकि आनुपातिक प्रत्यय प्रत्यावर्तन सामान्य अंतःनिवेश सेवाओं पर भी लागू हो। *[खंड 155]*

5) वित्त अधिनियम, 2011 की धारा 73 को "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985" को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944" के निर्देश से बदलने के लिए संशोधित किया जा रहा है। इस संशोधन को 08.04.2011 से भूतलक्षी प्रभाव भी दिया जा रहा है। *[खंड 156]*

ऊपर 1) में परिवर्तन अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा के कारण तुरंत प्रभावी होंगे।

अन्य परिवर्तन अधिसूचनाओं के माध्यम से किए जा रहे हैं।

सीमाशुल्क

क. साधारण

1) आयातित माल पर शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर की गणना की पद्धति सरल की जा रही है। वर्तमान में, ये उपकर पहले सीमाशुल्क के सीवीडी भाग पर भारित किए जाते हैं और तत्पश्चात् उत्पाद शुल्क के कुल भाग पर (विशेष सीवीडी को छोड़कर)। सीमाशुल्क के सीवीडी भाग पर उद्ग्रहणीय उपकरों के भाग पर छूट दी जा रही है जिससे ऐसे उपकरों पर दो बार गणना से बचा जा सके।

2) बैगेज नियमों के अधीन शुल्क मुक्त भत्ते को भारतीय मूल के व्यस्क यात्रियों के लिए 25000 रुपए से बढ़ाकर 35000 रुपए तथा 10 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए 10000 रुपए से बढ़ाकर 15000 रुपए किया जा रहा है।

शुल्क की दरों में परिवर्तन अंतर्वलित करने वाले प्रस्ताव

I. कृषि/कृषि प्रसंस्करण/पौध सेक्टरः

1) गन्ना प्लांटर, जड़ या ट्यूबर कृषि हार्वेस्टिंग मशीन और रोटरी टिलर तथा वीड़र, उनके विनिर्माण के लिए पुर्जों और अवयवों पर आधारिक सीमाशुल्क को 7.5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।

2) वर्तमान में अनाजों और चीनी के लिए मंडियों तथा भांडागारों में मेकेनाइज्ड हैंडलिंग सिस्टम और पैलेट रैंकिंग सिस्टम के प्रतिष्ठापन के लिए परियोजना आयात प्रास्थिति 5% की आधारिक सीमाशुल्क की रियायती दर पर उपलब्ध है। ऐसे सिस्टम सीमाशुल्क की अतिरिक्त दर (सीवीडी) तथा विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क दर (एसऐडी) से भी छूट प्राप्त हैं।

इसी छूट को (अर्थात् 5% बीसीडी + शून्य सीवीडी + शून्य एसएडी) को बागबानी उत्पाद के लिए ऐसे सिस्टमों तक विस्तारित किया जा रहा है।

3) बागबानी तथा पुष्प कृषि उत्पाद की संरक्षित कृषि के लिए ग्रीन हाउस स्थापना हेतु परियोजना आयात प्रास्थिति अनुदत्त की जा रही है। इस प्रकार इन परियोजनाओं पर 5% आधारिक सीमाशुल्क की रियायती दर लागू होगी।

4) विनिर्दिष्ट कॉफी प्लांटेशन और प्रसंस्करण मशीनरी पर आधारिक सीमाशुल्क को 10%/7.5% से घटाकर 5% किया जा रहा है। रियायती शुल्क 31.03.2014 तक उपलब्ध होगा।

5) कॉफी ब्रूइंग और वेंडिंग मशीनों (वाणिज्यिक प्रकार) पर आधारिक सीमाशुल्क 10% से घटाकर 5% किया जा रहा है। रियायती शुल्क 31.03.2014 तक उपलब्ध होगा। ऐसी कॉफी वेंडिंग और ब्रूइंग मशीनों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित पुर्जों पर आधारिक सीमाशुल्क भी घटाकर 2.5% किया जा रहा है।

6) यूरिया से भिन्न विनिर्दिष्ट घुलनशील उर्वरकों और तरल उर्वरकों पर आधारिक सीमाशुल्क को घटाकर क्रमशः 7.5% से 5% तथा 5% से 2.5% किया जा रहा है।

II. आटोमोबाइलः

किस्म अनुमोदन के बिना आयात के लिए अनुज्ञात बड़ी कारों/एमयूवी/एसयूवी की पूर्णतः निर्मित इकाइयों (40,000 अमरीकी डालर मूल्य से अधिक तथा पेट्रोल के लिए 3000 सीसी और डीजल के लिए 2500 सीसी से अधिक) पर आधारिक सीमाशुल्क 60% से बढ़ाकर 75% किया जा रहा है।

III. धातुएंः

1) इलैक्ट्रिकल इस्पात के विनिर्माण के लिए कोटिंग सामग्री पर आधारिक सीमाशुल्क को वास्तविक उपयोग दशा के अधीन रहते हुए 10% से घटाकर 5% किया जा रहा है।

2) फैरो-वेनेडियम के विनिर्माण में प्रयुक्त अमोनियम मैटा-वेन्डेट पर आधारिक सीमाशुल्क को 7.5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।

3) निकेल ऑक्साइड/हाइड्रोक्साइड और निकेल अयस्क/सांद्रण पर आधारिक सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट दी जा रही है।

4) वर्तमान में सीआरजीओ इस्पात को उपलब्ध एसएडी से छूट को ऐसे इस्पात की उच्च क्वालिटी तक सीमित किया जा रहा है।

5) गैर-मिश्रित इस्पात के फ्लैट रोल्ड उत्पादों (एचआर और सीआर) पर आधारिक सीमाशुल्क को 5% से बढ़ाकर 7.5% किया जा रहा है।

IV. बहुमूल्य धातुएंः

1) मानक स्वर्ण छड़ों तथा प्लेटिनम छड़ों पर आधारिक सीमाशुल्क को 2% से बढ़ाकर 4% किया जा रहा है।

2) गैर-मानक स्वर्ण पर आधारिक सीमाशुल्क को 5% से बढ़ाकर 10% किया जा रहा है।

3) परिष्करण के लिए स्वर्ण अयस्क/सान्द्रण और डोर छड़ों पर आधारिक सीमाशुल्क को 1% से बढ़ाकर 2% किया जा रहा है।

4) कर्तित और पॉलिश किए गए रंगीन रत्नों पर 2% का आधारिक सीमाशुल्क अधिरोपित किया जा रहा है।

V. पूंजी माल/अवसंरचनाः

1) लौह अयस्क पैलेट प्लांटों या लौह अयस्क बेनीफिसिएशन प्लांटों की स्थापना करने या उनका सारवान विस्तार करने के लिए पूंजी मालों, प्लांट और उपस्करों पर आधारिक सीमाशुल्क को 7.5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।

2) उर्वरक परियोजनाओं की आरंभिक स्थापना और सारवान विस्तार पर आधारिक सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट प्रदान की जा रही है। छूट 31.03.2015 तक विधिमान्य रहेगी।

3) वाष्प कोयला को आधारिक सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट प्रदान की जा रही है। ऐसे कोयले पर सीवीडी भी 5% से घटाकर 1% किया जा रहा है। यह छूट 31.03.2014 तक विधिमान्य रहेगी।

4) विद्युत जनन कंपनी द्वारा विद्युत जनन के लिए आयातित प्राकृतिक गैस/तरल प्राकृतिक गैस पर आधारिक सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट प्रदान की जा रही है।

5) परमाणु शक्ति जनन के लिए यूरेनियम सांद्रण, सिन्टर्ड प्राकृतिक यूरेनियम डाईऑक्साइड, सिन्टर्ड यूरेनियम डाईऑक्साइड पैलेट पर आधारिक सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट प्रदान की जा रही है।

6) महानगर विकास प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की गई सड़क सन्निर्माण परियोजनाओं हेतु आयातित उपस्करों के लिए आधारिक सीमाशुल्क, सीवीडी और एसएडी से पूर्णतः छूट प्रदान की जा रही है।

7) वर्तमान में जल विद्युत और सड़क परियोजनाओं के लिए सुरंग बोरिंग मशीनों पर उपलब्ध आधारिक सीमाशुल्क और सीवीडी से पूर्णतः छूट को सभी अवसंरचना परियोजनाओं तक विस्तारित किया जा रहा है। यह छूट ऐसी मशीनों को जोड़ने के लिए अपेक्षित पुर्जों के लिए भी उपलब्ध रहेगी।

8) वर्तमान में विनिर्दिष्ट सड़क सन्निर्माण उपस्करों पर आधारिक सीमाशुल्क और सीवीडी से पूर्णतः छूट प्राप्त है। इस छूट को अब सुरंग खुदाई तथा विनिर्दिष्ट लाइनिंग उपस्करों तक विस्तारित किया जा रहा है।

9) आधारिक सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट को कोयला खनन परियोजनाओं तक विस्तारित किया जा रहा है।

10) वर्तमान में खदानों के सर्वेक्षण और पूर्वेक्षण के लिए मशीनरी और उपस्करों पर क्रमशः 10% तथा 7.5% आधारिक सीमाशुल्क है। इन दरों को घटाकर 2.5% पर एकीकृत किया जा रहा है।

11) रेल सुरक्षा (रेलगाड़ी सुरक्षा और चेतावनी प्रणाली) उपस्कर तथा रेल पथ बिछाने की मशीनों पर आधारिक सीमाशुल्क को 10% से घटाकर 7.5% किया जा रहा है।

VI. वायुयान और जलयान

(1) नए और रीट्रिडड वायुयान टायरों को आधारिक सीमाशुल्क और सीवीडी से पूर्णतः छूट प्रदान की जा रही है।

(2) तृतीय पक्षकार अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) इकाइयों द्वारा आयातित वायुयानों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए वायुयान के पुर्जों तथा परीक्षण उपस्करों को आधारिक सीमाशुल्क तथा सीवीडी से पूर्णतः छूट प्रदान की जा रही है।

(3) तटीय व्यापार के लिए संपरिवर्तन पर विदेशगामी पोतों पर सीवीडी को अब इस अवधि पर, जिसके लिए वह भारत में तटीय यान के रूप प्रचालन करता है, निर्भर करते हुए मात्रानुपाती आधार पर प्रभारित किया जाएगा। इस मूल्य को, जब आयात किसी पट्टा करार/संविदा के प्रति किया जाता है, पट्टा मूल्य के रूप में माना जाएगा।

VII. पर्यावरण संरक्षण

(1) सौर तापीय परियोजनाओं की स्थापना के लिए उपस्करों को एसएडी से पूर्णतः छूट प्रदान की जा रही है।

(2) वायु ऊर्जा जनित्रों के पंखों की पखुंडियों के मध्यवर्तियों, पुर्जों और उप पुर्जों के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्रियों पर आधारिक सीमाशुल्क की 5 प्रतिशत की रियायती दर का विस्तार किया गया है।

(3) कंपैप्ट फ्लोरीसेंट लैंपों के विनिर्माण में उपयोग के लिए ट्राईबैंड फास्फोर को आधारिक सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट दी जा रही है।

(4) संकर यानों के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट पुर्जो को 6% सीवीडी शुल्क से छूट के साथ-साथ आधारिक सीमाशुल्क और एसएडी से पूर्णतः छूट उपलब्ध है। इस छूट को ऐसे यानों के विनिर्माण के लिए कुछ अतिरिक्त पुर्जो पर विस्तारित किया जा रहा है।

(5) 6% शून्य एसएडी और सीवीडी के साथ-साथ शून्य आधारिक सीमाशुल्क के सीमाशुल्क का वैद्युत या संकर यान विनिर्माताओं को आपूर्ति के लिए लिथियम आयन बैट्रियों पर विस्तार किया जा रहा है।

VIII. स्वास्थ्य

(1) आयोडीन पर आधारिक सीमाशुल्क 5% से घटा कर 2.5% किया जा रहा है।

(2) आइसोलेटेड सोया प्रोटीन और सोया प्रोटीन सांद्रण पर आधारिक सीमाशुल्क घटाकर क्रमशः 15% और 30% से 10% किया जा रहा है।

(3) प्रोबायोटिक पर आधारिक सीमाशुल्क 10% से घटाकर 5% किया जा रहा है।

(4) छह विशिष्ट जीवन रक्षक औषधियों/टीकों और उनके बहु औषधों पर सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क की छूट के माध्यम से शून्य सीवीडी के साथ घटाकर 10% से 5% किया जा रहा है।

(5) सिरिजों, सुइयों, कैथेटरों, कैनुले के विनिर्माण के लिए विशिष्ट कच्ची सामग्रियों पर वास्तविक उपभोक्ता की शर्त के अधीन रहते हुए 2.5% आधारिक सीमाशुल्क के साथ 6% सीवीडी और शून्य एसएडी विहित की जा रही है।

(6) रक्त दाब मानिटरों और रक्त शर्करा मानीटरी प्रणालियों (ग्लूको मापी) के विनिर्माण के लिए पुर्जों और संघटकों पर 2.5% आधारिक सीमाशुल्क के साथ 6% सीवीडी और शून्य एसएडी का विस्तार किया जा रहा है।

(7) आधारिक सीमाशुल्क और सीवीडी से पूर्णतः छूट का इस्पात टयूबों एवं तार, कोबाल्ट क्रोमियम ट्यूब, कोरोनरी स्टेंट/कोरोनरी स्टेंट प्रणालियों और कृत्रिम हृदय बाल्वों के विनिर्माण के लिए हेनेस मिश्रातु-25 और पालीप्रोपोलीन मेश पर वास्तविक उपभोक्ता की शर्त के अधीन रहते हुए विस्तारण किया जा रहा है।

IX. टेक्सटाइल

(1) पुर्जों और संघटकों के साथ-साथ शटल रहित करघों पर उनके विनिर्माण के लिए आधारिक सीमाशुल्क 5% से घटाकर शून्य किया जा रहा है। यह छूट केवल नई मशीनरी को लागू होगी।

(2) स्वतः रेशम-रिलिंग और प्रंसस्करण मशीनरी और कच्चा रेशम परीक्षण उपस्करों पर आधारिक सीमाशुल्क 5% से घटाकर शून्य किया जा रहा है। यह छूट केवल नई मशीनरी को लागू होगी।

(3) सीमाशुल्क की 5% की रियायती दर को केवल नई टेक्सटाइल मशीनरी पर निर्बधिंत किया जा रहा है। परिणामस्वरूप पुरानी मशीनरी पर 7.5% के आधारिक सीमाशुल्क की दर लागू होगी।

(4) ऊन अपशिष्ट और ऊन टोपों पर आधारिक सीमाशुल्क क्रमशः 10% और 15% से घटाकर 5% किया जा रहा है।

(5) टाइटेनियम डायोक्साइड पर आधारिक सीमाशुल्क 10% से घटाकर 7.5% किया जा रहा है।

(6) रक्षा और पुलिस को आपूर्ति के लिए बुलेट रोधी हेलमेंटों के विनिर्माण में प्रयुक्त किए जाने पर अरामिड सूत और फ्रेबिक पर आधारिक सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट का विस्तारण किया जा रहा है।

X. इलेक्ट्रानिक्स/हार्डवेयर

(1) 20 इंच और उससे ऊपर के एलसीडी और एलईडी टीवी पैनलों को आधारिक सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट प्रदान की जा रही है।

(2) एलईडी लैम्पों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित एलईडी को भी एसएडी से छूट दी जा रही है।

(3) इस समय आधारिक सीमा शुल्क, सीवीडी र एसएडी से पूर्णतः छूट की परिधि सेल्यूलर फोनों सहित मोबाइल हैंडसेट के पुर्जों, संघटकों और उपसंसाधनों के विनिर्माताओं को उपलब्ध हैं, का विस्तारण मेमॉरी कार्डों के पुर्जो को शामिल करने के लिए किया जा रहा है। एसएडी से छूट की वैधता का विस्तारण 31.03.2012 से 31.03.2013 तक किया जा रहा है।

(4) कनेक्टरों के विनिर्माण के लिए तांबा, पीतल और फास्फोर कांस्य छड़ों और ऐसी ही आयातित मदों पर इस समय उपलब्ध आधारिक सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट का प्रत्याहरण किया जा रहा है।

(5) इस समय पोलिलेमिनेटड अल्यूमिनियम टेप और पोलि-लेमिनेटड इस्पात टेप को आधारिक सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट उपलब्ध है यदि उन्हें दूरसंचार में उपयोग के लिए केबलों और चालकों के विनिर्माण के लिए आयात किया गया हो, का भी प्रत्याहरण किया जा रहा है।

XI. निर्यात संवर्धन

(1) फाइबर इंपैलट और जलकृषि के लिए स्वचालित मत्स्य/झींगा पोषकों सहित मैरीन सीवाटर पंपों पर आधारिक सीमाशुल्क को 10% से घटाकर 5% किया जा रहा है।

(2) अर्टेमिया पर आधारिक सीमाशुल्क को 30% से घटाकर 5% किया जा रहा है।

XII. कागज

(1) अपशिष्ट कागज को आधारिक सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट दी जा रही है।

XIII. विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्कः

(1) पीतल स्क्रैप, लकडी के लठ्ठों और ड्रेजरों को एसएडी से छूट दी जा रही है।

(2) फेरो निकल पर आधारिक सीमाशुल्क को 5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।

XIV. प्रकीर्ण :

(1) कतिपय विनिर्देशों के डिजीटल स्टिल कैमरों पर 10% का आधारिक सीमाशुल्क अधिरोपित किया जा रहा है।

(2) बोरिक अम्ल पर आधारिक सीमाशुल्क को 5% से बढ़ाकर 7.5% किया जा रहा है।

(3) वायलरों के विनिर्माण के लिए ब्रायलर गुणवत्ता की टयूबों और पाइपों पर आधारिक सीमाशुल्क को अंत तक उपयोग की शर्त के अधीन रहते हुए 10% से घटाकर 7.5% किया जा रहा है।

(4) वास्तविक उपयोक्ता शर्त के अधीन रहते हुए व्यस्क डायपरों के विनिर्माण के लिए हाइड्रोफिलिक अव्युतीत, हाइड्रोफोलिक अव्युतीत और सुपर अलसार्लेंट पोलीमर के आयातों के लिए आधारिक सीमाशुल्क 6% सीवीडी + शून्य एसएडी की रियायती सीमाशुल्क व्यवस्था को विहित किया जा रहा है।

उत्पाद शुल्क

शुल्क की दर में परिवर्तन अंतर्वलित करने वाले प्रस्ताव

(1) कुछ अपवादों, जिनमें छूट/रियायतें दी गई हैं, के साथ गैर-पेट्रोलियम उत्पादों पर 10% की प्रभावी उत्पाद शुल्क की दर को बढ़ाकर 12% किया जा रहा है।

(2) गैर-पेट्रोलियम उत्पादों पर 5% की रियायती उत्पाद शुल्क की दर को बढ़ाकर 6% किया जा रहा है।

(3) गैर-पेट्रोलियम उत्पादों पर 1% की निम्न दर को बढ़ाकर 2% किया जा रहा है। तथापि, बहुमूल्य धातु के आभूषणों, कोयला और खादों पर यह दर 1% बनी रहेगी।

सेक्टर विनिर्दिष्ट प्रस्ताव

I. सीमेंटः

पैकेजों के रूप में विनिर्मित और निकासी किए गए सीमेंट पर उत्पाद शुल्क ढांचे का व्यवस्थीकरण किया जा रहा है। पैकेजों के रूप में विनिर्मित और निकासी किए गए सीमेंट पर शुल्क प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए ग्रेडयुक्त आरएसपी स्लैबों को समाप्त किया जा रहा है । सीमेंट और सीमेंट क्लीकरों पर दरों को निम्नानुसार पुनरीक्षित किया जा रहा हैः

विवरण	शुल्क की पुनरीक्षित दर
1. पैक रूप में विनिर्मित और निकासी किया गया सीमेंट :-	
(क) लघु सीमेंट संयंत्रों से	6% मूल्यानुसार + 120 रुपए प्रति टन
(ख) लघु सीमेंट संयंत्रों से भिन्न संयंत्रों से	12% मूल्यानुसार + 120 रुपए प्रति टन
2. पैकेज रूप से भिन्न निकासी किया गया सीमेंट	13% मूल्यानुसार
3. सीमेंट क्लींकर	12% मूल्यानुसार

सीमेंट को धारा 4क के अधीन भी अधिसूचित किया जा रहा है, अर्थात खुदरा विक्रय मूल्य से 30% के उपशमन के साथ खुदरा विक्रय मूल्य आधारित निर्धारण।

II. बहुमूल्य धातुएं :

(1) वर्तमान में, बहुमूल्य धातुओं के ब्रांडीकृत आभूषणों पर 1% उत्पाद शुल्क उद्गृहणीय है। उद्ग्रहण की परिधि को, अब्रांडीकृत आभूषण को उसमें सम्मिलित करने के लिए विस्तारित किया जा रहा है। तथापि, ऐसे अब्रांडीकृत आभूषणों पर शुल्क को बीजक में घोषित संव्यवहार मूल्य के 30% पर प्रभारित किया जाएगा।

(2) अब्रांडीकृत रजत आभूषणों को पहले ही छूट प्राप्त है। ब्रांडीकृत रजत आभूषणों को उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की जा रही है।

(3) ईओयू से देशी टैरिफ क्षेत्र में विक्रीत स्वर्ण आभूषणों पर उत्पाद शुल्क को 5% से बढ़ाकर 10% किया जा रहा है।

(4) परिष्कृत स्वर्ण पर उत्पाद शुल्क को 1.5% से बढ़ाकर 3% किया जा रहा है।

(5) ताम्र स्मेलटिंग से निर्मित स्वर्ण पर उत्पाद शुल्क को 2% से बढ़ाकर 3% किया जा रहा है।

(6) ताम्र स्मेलटिंग से निर्मित रजत पर त्पाद शुल्क को 6% से घटाकर 4% किया जा रहा है।

(7) बहुमूल्य घातुओं या बहुमूल्य धातुओं से मढ़ी धातुओं के स्वर्णकार और रजतकार के ऐसे बर्तनों, जिनपर ब्रांड नाम नहीं है, पर उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट का उपबंध किया जा रहा है।

(8) 99.5% और अधिक की शुद्धता वाले स्वर्ण सिक्कों और 99.9% और अधिक की शुद्धता वाले रजत सिक्कों को पूर्ण रूप से उत्पाद शुल्क से छूट दी जा रही है।

III. तंबाकू उत्पाद

(1) सिगरेटों को आरएसपी से 50% के उपशमन के साथ आरएसपी आधारित निर्धारण के लिए धारा 4क के अधीन अधिसूचित किया जा रहा है।

(2) हस्त-वेलित बीडियों पर आधारिक उत्पाद शुल्क को 8 रुपए प्रति हजार से बढ़ाकर 10 प्रति हजार तथा मशीन वेलित बीडियों पर 19 रुपए प्रति हजार से बढ़ाकर 20 रुपए प्रति हजार किया जा रहा है।

(3) पान मसाला, गुटका, चबाने वाली तंबाकू, ज़र्दा सुंगधित तंबाकू और अविनिर्मित तंबाकू को शमनीय उद्ग्रहण स्कीम के अधीन लागू प्रति मशीन शुल्क की दरों को बढ़ाया जा रहा है।

IV. व्यापक उपभोग की मदें :

(1) प्रति मद 200 रुपए से अनधिक के मूल्य के लेखन यंत्रों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त रिफिलों और स्याहियों के वास्तविक उपयोक्ता की शर्त के अधीन रहते हुए उत्पाद शुल्क से पूर्णतया छूट प्रदान की जा रही है।

(2) जूता पर छूट परिसीमा प्रति जोड़ा 250 रुपए से बढ़ाकर प्रति जोड़ा 500 रुपए की जा रही है। प्रति जोड़ा 500 रुपए से अधिक के जूते पर 12% का उत्पाद शुल्क लगेगा।

(3) आयोडीन पर उत्पाद शुल्क 10% से घटाकर 6% किया जा रहा है।

V. पर्यावरण अनुकूलनीय माल

(1) अन्त उपयोग दशा के अधीन रहते हुए पुर्जों और ओईएम के रूप में उपयोग के लिए वैद्युत यानों के विनिमार्ताओं को प्रदाय किए गए बैटरी पैकों पर उत्पाद शुल्क 10% से घटाकर 6% किया जा रहा है।

(2) अन्त तक उपयोग शर्त के अधीन रहते हुए हाइब्रिड यानों के विनिर्माताओं को प्रदाय किए गए हाईब्रिड यानों के विनिर्दिष्ट पुर्जों पर उत्पाद शुल्क 10% से घटाकर 6% किया जा रहा है।

(3) एलईडी लैम्पों पर उत्पाद शुल्क घटाकर 6% किया जा रहा है।

VI. टेक्सटाइल :

(1) किसी ब्रांड नाम वाले या किसी ब्रान्ड के अधीन विक्रीत रेडीमेड परिधानों पर उत्पाद शुल्क प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए खुदरा विक्रय मूल्य से शमन के स्तर को 55% से बढ़ाकर 70% किया जा रहा है।

VII. प्रकीर्ण :

(1) उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट अध्याय 20 के अन्तर्गत आने वाले फलों और सब्जियों से युक्त उन निर्मितियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, जिन्हें होटल, रेस्टोरेन्ट या खुदरा बिक्री केन्द्र में तैयार किया जाता है, चाहे ऐसे खाद्य का ऐसे होटलों / रेस्टोरेन्टों/खुदरा बिक्री केन्द्रों में उपभोग किया जाता है या नहीं ।

(2) उन मोबाइल फोनों, जिन्हें मोबाइल फोनों के विनिर्माता को प्रदाय किया गया है, से भिन्न मोबाइल फोनों के पुर्जों पर उत्पाद शुल्क 10% से घटाकर 2% किया जा रहा है, यह तब जब कोई केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर लिया जाता है।

(3) निम्नलिखित पर उत्पाद शुल्क 10% से घटाकर 6% किया जा रहा हैः

(क) अर्ध-यंत्रीकृत यूनिटों द्वारा विनिर्मित माचिसें

(ख) सोया के प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों

(4) इन्ट्रा ओकुलर लेंसों पर उत्पाद शुल्क से छूट प्रत्यावर्तित की जा रही है।

सेवा कर

I. सेवा कर की दर

(1) सेवा कर की दर दस प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत की जा रही है।

(2) सेवा कर दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित के लिए कर की विनिर्दिष्ट प्रशमनकारी दरों में परिवर्तन किए जा रहे हैंः

(क) विदेशी करेंसी, जिसके अन्तर्गत मनीचेजिंग भी है, के क्रय और विक्रय के संबंध में सेवा ;

(ख) लाटरी के संवर्धन, उसके विपणन, उसे सगंठित करने, या किसी रीति में उसे संगठित करने में सहायता करने की सेवा;

(ग) संकर्म संविदा सेवा ;

(घ) नियम 6(3) (i) के अधीन केन्द्रीय मूल्य वर्धित प्रत्यय कर का प्रत्यावर्तन

(3) जीवन बीमा सेवा : जहां सम्पूर्ण प्रीमियम जोखिम कवर के लिए नहीं है, वहां पहले वर्ष के प्रीमियम पर तीन प्रतिशत की दर पर कर लगाया जाएगा जबकि पश्चातवर्ती प्रीमियम पर 1.5 प्रतिशत की दर पर कर लगाया जाएगा । पूर्ण केन्द्रीय मूल्य वर्धित प्रत्यय का फायदा अनुज्ञात किया जाता है।

(4) वायुयान द्वारा घरेलू और अन्तरराष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत में उतरने वाले यात्रियों का परिवहन : मितव्ययी वर्ग यात्रा की दशा में 150 रुपए और 750 रुपए के अधिकतम सेवा कर की दोहरी दर संरचना को साठ प्रतिशत के उपशमन सहित बारह प्रतिशत की मूल्यानुसार दर द्वारा इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रतिस्थापित किया जा रहा है कि अन्तः निवेश और पूंजी मालों पर कोई प्रत्यय नहीं लिया जाता है;

[उपरोक्त परिवर्तन 1.4.2012 से लागू होंगे]

II. नकारात्मक सूची उपागम को आंरभ करना :

सेवाओं के कराधान के लिए एक नकारात्मक सूची उपागम को, वित्त अधिनियम, 1994 (कृपया वित्त विधेयक, 2012 के खंड 143 को देखें) के अध्याय 5 में प्रस्तावित नई धाराओं अर्थात् 65ख, 66ख, 66ग, 66घ, 66ङ और 66च द्वारा आरंभ किया जा रहा है। "नकारात्मक सूची" (धारा 66फ) में विनिर्दिष्ट सेवाएं कर परिधि से बाहर रहेंगी। इस प्रकार, अन्य सभी सेवाएं सिवाय उनके जो विनिर्दिष्ट रूप से वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 93(1) के अधीन शक्तियों के प्रयोग द्वारा छूट प्राप्त हैं, सेवा कर से प्रभार्य होंगी। सेवा कराधान के लिए नकारात्मक सूची उपागम, वित्त विधेयक, 1994 पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाने के पश्चात् अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होगा। नकारात्मक सूची उपागम को प्रवर्तित करने के लिए, अनेक परिवर्तन वित्त विधेयक, 1994 के अध्याय 5 में प्रस्तावित किए गए हैं।

इन परिवर्तनों की विस्तृत जानकारी एक मार्गदर्शन पत्र के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है, जो जनता के समक्ष रखा जाएगा। सेवाकर नियम, 1994 सेवाकर (मूल्य का अवधारण) नियम, 2006 तथा केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 में पारिणामिक परिवर्तन भी इस मार्गदर्शन पत्र का भागरूप होंगे। इस समय वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 में आने वाले सकारात्मक सूची उपागम से संबंधित उपबंध अर्थात् धारा 65, धारा 65क, धारा 66 और धारा 66क, जब और जैसे नकारात्मक सूची उपागम का प्रवर्तन आरंभ होता है, उसके बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रवर्तन में नहीं रह जाएंगी।

सेवाओं के कराधान के लिए नकारात्मक सूची उपागम का समर्थन करने के लिए, प्रारूप सेवाओं के उपबंध का स्थान नियम, 2012 का प्रस्ताव किया जा रहा है। सेवाओं के उपबंध का स्थान नियमों में ऐसे सिद्धान्त अन्तर्विष्ट हैं जिनके आधार पर सेवा की कराधान संबंधी अधिकारिता का अवधारण किया जा सकता है। सेवाओं के उपबंध का स्थान नियम, 2012, वित्त विधेयक, 2012 (धारा 66) पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाने के पश्चात् अधिसूचित किए जाएंगे। सेवाओं के उपबंध का स्थान नियम, 2012 प्रभावी हो जाने पर, विद्यमान "सेवाओं का निर्यात नियम, 2005" और "सेवाओं का कराधान (भारत से बाहर उपलब्ध कराई गई और भारत के अन्दर प्राप्त की गई) नियम, 2006 विखंडित किए जाएंगे।

III. वित्त अधिनियम, 1994 में संशोधन :

वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय-5 का संशोधन किया जा रहा है :-

(1) एक नई धारा 67क यह विहित करने के लिए अन्तःस्थापित की जा रही है कि कराधेय सेवा का मूल्य (विशिष्ट तथा कराधेय सेवाओं के आयात और निर्यात की दशा में) और कर की दर कराधान बिन्दु नियम, 2011 के निबंधनानुसार अवधारित की जाएगी।

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 14क और धारा 14कक के आधार पर सेवाकर विधि में विशेष संपरीक्षा से संबंधित उपबंध पुरःस्थापित करने के लिए एक नई धारा 72क अन्तःस्थापित की जा रही है। पुरःस्थापित की गई इस नई धारा के अधीन विशेष संपरीक्षा विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में आदिष्ट किया जा सकता है। परिणामतः धारा 144कक का धारा 83 से लोप किया जा रहा है।

(3) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73(1) के अधीन विहित अपराधों के विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के लिए सूचना जारी करने हेतु एक वर्ष की सीमा को बढ़ाकर अठारह मास किया जा रहा है। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 में एक नई उपधारा (1क) का अंतःस्थापन यह विहित करने के लिए किया जा रहा है कि उन्हीं आधारों पर जारी किए गए अनुसरण नोटिसों में आधारों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है किन्तु पश्चातवर्ती अवधि के लिए भारित सेवा कर की रकम का उनमें कथन करना होगा। पूर्ववर्ती मांग नोटिस के प्रति निर्देश से तामील, पश्चात्तवर्ती अवधि के लिए शोध्य कर का कथन वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 (1) के अधीन नोटिस समझा जाएगा।

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 31, धारा 32, धारा 32क से धारा 32त में अंतर्विष्ट समान उपबंधों के अनुसार सेवा कर को लागू समझौता आयोग के उपबंधों को लागू करने के लिए धारा 83 का संशोधन किया जा रहा है।

(5) संभव सीमा तक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, 1944 की धारा 35ङङ में विहित पुनरीक्षण तंत्र को सेवा कर पर लागू करने के लिए धारा 83 का संशोधन किया जा रहा है।

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की धारा 35 और धारा 35ङ के अनुरूप धारा 85 और धारा 86 संशोधित की जा रही हैं जिससे आयुक्त (अपील) के समक्ष निर्धारिती अपील तथा अधिकरण के समक्ष राजस्व अपील फाइल करने के लिए परिसीमा का सुमेलन किया जा सके।

(7) (क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपराधों का शमन) नियम, 2005 के अनुरूप शमन की रीति तथा अपराधों के शमन की रकम विनिर्दिष्ट करने का उपबंध करने ; (ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अनुरूप मामलों के समझौते के लिए नियमों का उपबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त करने हेतु धारा 94 (2) का संशोधन किया जा रहा है।

[उपर्युक्त परिवर्तन वित्त विधेयक, 2012 के अधिनियमन की तारीख से प्रभावी होंगे]।

IV. नया प्रत्यावर्तन प्रभार तंत्र

(1) सेवाकर के संदाय की जिम्मेदारी, प्रत्यावर्तन प्रभार के आधार पर भागतः सेवा प्रदाता तथा भागतः सेवा प्राप्तकर्ता पर डालने के लिए वित्त विधेयक, 1994 की धारा 68(2) का संशोधन किया जा रहा है। इस स्कीम को तीन विशिष्ट सेवाओं अर्थात् यातायात के साधन किराए पर लेने, संनिर्माण तथा मानव शक्ति आपूर्ति पर लागू करने का प्रस्ताव है। वित्त विधेयक, 2012 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के पश्चात् अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसमें तीन सेवाओं के मामले में सेवा प्रदाता और सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा सेवा कर के संदाय की रीति और सीमा विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(2) उपर्युक्त परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, सेवा कर नियम, 1994 के नियम 2 (1) (घ) में उपबंधित "संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति, की उपधारणा में भी उचित संशोधन किए जा रहे हैं।

V. स्थावर संपत्ति सेवा को किराए पर देना :

स्थावर संपत्ति किराए पर देने पर सेवाकर के उद्ग्रहण की संवैधानिक विधिमान्यता मुकदमों की विषय-वस्तु रही है, जिससे राजस्व के पक्ष में न्यायालयों के निर्णय हुए हैं, जिसमें माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय सम्मिलित हैं। संपूर्ण दृष्टिकोण लेते हुए, सरकार ने उन कर दाताओं पर शास्ति का अधित्यजन करने का विनिश्चय किया है जो स्थावर संपत्ति किराए पर देने की सेवा पर शोध्य सेवा कर का संदाय करते हैं (06.03.2012 को यथाविद्यमान)। इस प्रयोजन के लिए, वित्त अधिनियम, 1994 में एक नई धारा 80क अंतःस्थापित की जा रही है। शास्ति अधित्यजन की यह स्कीम, वित्त विधेयक, 2012 के अधिनियमन की तारीख से केवल छह मास की अवधि के लिए खुली होगी।

VI. भूतलक्षी प्रभाव वाली छूटें :

(1) अधिसूचना सं. 24/2009 एसटी तारीख 27.07.2009 द्वारा सड़कों की मरम्मत पर पहले ही सेवाकर से छूट प्राप्त है। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 97 के द्वारा सड़कों की मरम्मत को मंजूर की गई छूट को 16-06-2005 से 26-07-2009 की पूर्व अवधि के लिए विस्तारित किया जा रहा है।

(2) गैर-वाणिज्यिक सरकारी भवनों के संबध में की गई प्रबंधन, अनुरक्षण या मरम्मत संबंधी सेवाओं को 16-06-2005 से नई प्रभारण धारा, अर्थात् धारा 66ख के प्रवृत्त होने तक धारा 98 के द्वारा सेवा कर से छूट प्रदान की जा रही है।

(3) पिछले बजट में, केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 6 के अधीन उपनियम 6क अंतःस्थापित किया गया था, जिससे देशी टैरिफ क्षेत्र में अवस्थित सेवा प्रदाताओं को उस समय केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय के प्रत्यावर्तन से संरक्षित किया जा सके, जब वे एसईज़ेड के प्राधिकृत प्रचालनों को कराधेय सेवाएं प्रदान करते हैं। उपनियम 6क के प्रवर्तन को 10.02.2006 से भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है।

[वित्त विधेयक, 2012 का खंड 144] ।

(4) सामान्य बहिस्राव उपचार संयंत्र के संबंध में रंजक इकाइयों के संगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को अधिसूचना सं. 42/2011-एसटी तारीख 25-07-2011 के द्वारा सेवा कर से छूट दी गई थी। इस छूट की परिधि को विस्तृत किया जा रहा है और संशोघिनकारी अधिसूचना को 16-06-2005 से भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है।

[वित्त विधेयक, 2012 का खंड 145] ।

[उपरोक्त भूतलक्षी प्रभाव वाली छूटें, वित्त विधेयक, 2012 के अधिनियमन की तारीख से प्रभावी होंगी] ।

VII. नियमों में संशोधन :

(1) केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 का संशोधन किया जा रहा है :

(क) विद्यमान नियम 5 के स्थान पर एक नया नियम रखा जा रहा है, जिससे निर्यातों के मद्दे अप्रयुक्त प्रत्यय के प्रतिदाय की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए;

(ख) मोटर यानों (शीर्ष सं. 8702, 8703, 8704, 8711 के मोटर यानों और उनकी चेसिस को छोड़कर) पर प्रत्यय अनुज्ञात किया जा रहा है। ऐसे यानों को किराये पर देने, उनके बीमा और मरम्मत पर संदत्त कर के प्रत्यय को भी अनुज्ञात किया जाएगा;

(ग) बीमा और सर्विस स्टेशन का प्रत्यय निम्नलिखित के लिए अनुज्ञात किया जा रहा है -

(i) उनके द्वारा बीमा और पुनःबीमा किए गए यानों के संबध में बीमा कंपनियां; और

(ii) विनिर्मित मोटर यानों के संबंध में उनके विनिर्माता

(घ) इस समय, माल पर प्रत्यय केवल उनके सेवा प्रदाता के परिसर में लाने के पश्चात् ही लिया जा सकता है। किसी सेवा प्रदाता को अन्तःनिवेश या पूंजी मालों पर विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, जब भी माल व्यय उसे परिदत्त किया जाए, प्रत्यय लेने के लिए अनुज्ञात करने के लिए नियम 4(1) और नियम 4(2) का संशोधन किया जा रहा है।

(ङ) अंतःनिवेश सेवा वितरणों के लिए नियम 7क का संशोधन किया जा रहा है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी इकाई में पूर्णतः उपयोग की गई सेवा के कारण सेवा कर का केवल उस इकाई में वितरण किया जाए और एक से अधिक इकाइयों में उपयोग की गई सेवा या सेवा कर सबंधित इकाई की आवत के मात्रानुपाति आधार पर सभी इकाइयों, जिनसे सेवा सबंधित है, की आवर्त के आधार पर वितरित किया जाएगा।

(च) सेवा प्राप्त करने वाले द्वारा प्रत्यावर्तन प्रभार पर सेवा कर के संदाय की दशा में, कर संदाय चालान पर प्रत्यय का फायदा अनुज्ञात करने के लिए नियम 9(1) (ङ) का संशोधन किया जा रहा है।

(2) सेवा कर नियम, 1994 का निम्नानुसार संशोधन किया जा रहा है :

(क) बीजक जारी करने के लिए नियम 4क में उपबंधित समय सीमा को बढ़ाकर तीस दिन किया जा ररहा है। बैंककारी और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान कर रहे बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए यह अवधि पैंतालीस दिन होगी;

(ख) असीमित अनुज्ञेय समायोजनों को अनुज्ञात करने के लिए नियम 6 (4क) का संशोधन किया जा रहा है।

(ग) इस समय निर्यात और आठ विनिर्दिष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले व्यष्टिकों और फर्मों की दशा में कतिपय सीमाओं के अधीन रहते हुए कराधान का बिंदु संदाय की तारीख है। इस विशेष व्यवस्था को कराधान बिंदु नियमों से सेवा कर नियमों में स्थानांतरित किया जा रहा है।

(घ) निर्यातकों की दशा में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशिष्ट अनुरोधों पर विस्तारित अवधि को उस अवधि में शामिल किया जा रहा है जिसके लिए अनुज्ञात अवधि को आस्थगित किया गया है।

(ङ) आस्थगित संदाय के विकल्प को विशिष्ट सेवाओं के स्थान पर सभी सेवा प्रदाताओं को अनुज्ञात किया जा रहा है। यह सुविधा केवल व्यष्टिकों और भागीदारी फर्मों (जिसके अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी भी है) को इस शर्त के अधीन रहते हुए कि पूर्व वर्ष में कराधेय सेवाओं का उनका आवर्त पचास लाख रुपए से कम था, कराधेय सेवाओं का आवर्त पचास लाख रुपए तक है, उपलब्ध होगी।

उपरोक्त सीमाओं की संगणना के लिए, पूर्ण आस्तित्व और न कि किसी रजिस्ट्रीकरण के आवर्त को जोड़ना अपेक्षित है।

(3) कराधान का बिन्दु नियम, 2011 का निम्नलिखित के लिए संशोधन किया जा रहा है, -

(क) सेवा की अवधारणा की संपूर्ण विमा अर्थात सेवाओं की पुनरावर्ती प्रकृति और आवधिक रूप से या समय-समय पर संदाय की बाध्यता को समझने के लिए सेवा के सतत् प्रदाय की परिभाषा में परिवर्तन करना;

(ख) सेवा के सतत् प्रदाय से संबंधित नियम 6का लोप करने और उसे नियम 3के साथ समामेलित करने। नियम 4 और नियम 5, जो कर की प्रभावी दर और नई सेवाओं के कराधान में परिवर्तन को अंतर्वलित करने वाली परिस्थिति के संबंध में हैं, अब सेवा के सतत् प्रदाय को भी लागू होंगे;

(ग) संदाय की तारीख की परिभाषा;

(घ) संदाय की बजाय, बीजक या सेवा के समापन के आधार पर बीजक में उपदर्शित रकम से अधिक प्राप्त एक हजार रुपए तक के अग्रिमों के संबंध में कराधान के बिंदु का अवधारण करने के लिए विकल्प देने; और

(ङ) ऐसे मामलों में जहां कराधान बिंदु को विहित नियमों द्वारा अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता, कराधान बिंदु को अभिनिश्चित करने के लिए नए अवशिष्ट नियम को सम्मिलित करने।